प्र.सं. 2023/155 / दावा / प्र.पत्र / भागमल / इन्द्रा बाई

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	पारित एक पक्षीय कार्यवाही को 500/- कॉस्ट पर अपास्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा० पत्र दिनांक 5/8/2025 को पेश हो।	
5/8/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13/10/25 को पेश हो पुनश्च : वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रा० पत्र पेश किया।	
13/10/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 10/11/25 को पेश हो	
10/11/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 23/12/25 को पेश हो	
23/12/25.	वकलाए उभय। जवाब प्रा० पत्र पूर्व पेशी दि 5/8/25 को पेश किया जा चुका है। बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर प्रा०पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

वाद नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
प्रा0 पत्र/2023	18.07.2023	23.12.2025

1. भागमल आ0 श्री शोभाराम आयु व्यस्क
2. मोहन आ0 श्री शोभाराम आयु व्यस्क
3. प्रभू आ0 श्री शोभाराम आयु व्यस्क
4. पूरण आयु व्यस्क आ0 श्री शोभाराम जातियान गँवारिया बंजारा निवासी ग्राम पीली की खान तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. इन्द्रा बाई पुत्री श्री रामा
2. उगदी बाई पुत्री श्री रामा
3. गोमा आ0 श्री रामा
4. तोती बाई पत्नी श्री रामा
5. फुमा पुत्री श्री रामा
6. राजू आत्मज श्री रामा
7. सफेदी बाई पुत्री श्री रामा
8. सुरेश आ0 श्री रामा जातियान गँवारिया बंजारा निवासी ग्राम पीली की खान तहसील तालेडा जिला बूंदी।
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 ।
10. राजस्थान राज्य जर्ये उपपर्जीयक महोदय, तालेडा जिला बूंदी राज0।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री हिम्मत सिंह
अधिवक्ता अप्रार्थीगण :– श्री विजय चौधरी

– : : निर्णय : : –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता स. नया 199 पुराना 195 की खसरा सं, 1865 रकबा 0.8903 है0 वाके ग्राम देवरिया पटवार हल्का तालाब बरधा भू.अभि0 निरीक्षक क्षैत्र बरुधंन तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान में विस्थित है जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 के पूर्वजो की पैतृक सम्पति है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 के पूर्वज पत्ता जी थे। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पूर्वज पत्ता जी की कृषि भूमि थी, जिस पर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 के पिता रामा के द्वारा मिलीभगत कर अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा लिया एवं इस बाबत कोई जानकारी हम प्रार्थीगण को नहीं हो पाई जबकि उक्त भूमि पर हम प्रार्थीगण का कब्जा है। जब अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 उक्त भूमि के बेचान के संबंध में अन्य लोगो को लेकर मौके पर आये तो प्रार्थीगण को पता लगा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि आप अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जबकि उक्त सम्पूर्ण भूमि का पारिवारिक बँटवारा के अनुसार हिस्सा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है जिस बाबत एक पंचनामा समझौता पत्र दिनांक 28.04.2023 को गाँव वालो की सहमति से तैयार करवाया गया जिस पर भी उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि कब्जा काश्त हम प्रार्थीगण के पास ही लिखवाया। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 के सामने ही उक्त भूमि के संबंध में पंचनामा दिनांक 28.04.2023 गाँव वालो की सहमति से तैयार करवाया गया फिर भी दिनांक 03.07.2023 को अप्रार्थीगण मौके पर अन्य व्यक्तियो को बेचान करने के लिये लाये एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को बेचान करने के लिये दिखाया तो प्रार्थीगण मौके पर पहुचे एवं उक्त भूमि का बेचान करने से अप्रार्थीगण से मना किया एवं पंच नामा समझौता पत्र दिनांक 28.04.2023 अप्रार्थीगण एवं साथ आये अन्य व्यक्तियो को दिखाया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि उक्त भूमि तो हमारे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है हम तो इसका बेचान करेगे तुमसे हो जो कर लेना। तब से वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर बना हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का हक व अधिकार है तथा वर्तमान में उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8

कृषि भूमि पर कभी भी कोई कब्जा नही रहा है क्योकि पूर्व में पूर्वजो के पारिवारिक बँटवारे के अनुसार उक्त पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि हम प्रार्थीगण के हिस्से में आई थी परन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम का उठाकर अप्रार्थी सं 1 लगायत 8 उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से उक्त भूमि में प्रार्थीगण के हक व अधिकार की घोषणा का अधिकार रखते है क्योकि उक्त भूमि प्रार्थीगण के हक व अधिकार की है जो कि प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है । प्रार्थीगण न्यायालय से अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 के विरूद्ध इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को रहन, बेचान, दान नहीं करे, खुर्द बुर्द नही करे, कृषि स्वरूप को नष्ट नही करे, प्रार्थीगण को बेदखल नही करे, उक्त कार्य न तो स्वंय करे और ना ही अपने प्रतिनिधियो से करावे । इस प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 9 व 10 राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नही करे। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर अप्रार्थीगण को इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे, प्रार्थीगण के कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे, भूमि के स्वरूप को नष्ट नही करे, राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नही करे। उक्त कार्य न तो स्वंय करे ना ही अपने प्रतिनिधियो से करावे।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य में भूमि विस्थित होना स्वीकार है। शेष तथ्य झूठे होने से स्वीकार नहीं अस्वीकार है। उक्त भूमि के खातेदारी स्वामी के रूप में अप्रार्थीगण क्रम संख्या 1 लगायत 8 का नाम अंकित है तथा अप्रार्थीगण ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस चरण में भूमि का प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम संख्या 1 लगायत 8 पूर्वजो की पैतृक सम्पति होना अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य झूठे होने से स्वीकार नहीं अस्वीकार है। उक्त भूमि पत्ता जी की होना स्वीकार है तथा भूमि पर कब्जा अप्रार्थीगण का है अप्रार्थीगण ही भूमि पर काबिज होकर करते चले आ रहे है। तथा अप्रार्थीगण ही भूमि के रिर्कोडेड खातेदार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य कभी कोई बटवारा नही हुआ सही तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा सख्या 1865 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा विस्थित ग्राम तालाब बरधा में प्रार्थीगण के पिता रामा जी को अलोट हुई तथा गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। लगातार काश्त किये जाने से उक्त भूमि रामा जी के खातेदारी में दर्ज हो गई तथा रामा जी की मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थीगण के नाम फोती इन्तकाल खोलकर तस्दीक किया गया। तब से आज तक अप्रार्थीगण ही भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा चरण सं. 4 में झूठे तथ्य अंकित करवाये गये है। अप्रार्थीगण भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। भूमि में प्रार्थीगण उनके पूर्वजो का कोई हक अधिकार कोई कब्जा रहा। प्रार्थीगण का व अप्रार्थीगण के पूर्वजो के मध्य कभी कोई बटवारा भूमि बाबत नही हुआ। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार स्वामी है तथा अपने पूर्वजो के जमाने से ही वर्तमान तक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे प्रार्थीगण का व उनके पूर्वजो का कभी कोई कब्जा भूमि पर नही रहा, नहीं वर्तमान में है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण व उनके पूर्वजो का कभी भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संरख्या 7 में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं अस्वीकार है रिकार्डेड खातेदारी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। वादी का वाद अवधि बाधित है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। वाद खर्च अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से दिलवाया जावें ।अपने जवाब के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 222 सवंत 2032–36 वाके ग्राम तालाब बरधा एवं नामान्तकरण सं0 35 वाके ग्राम तालाबबरधा की छायाप्रतिया पेश की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई । दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि कृषि भूमि खाता स. नया 199 पुराना 195 की खसरा सं, 1865 रकबा 0.8903 है0 वाके ग्राम देवरिया पटवार हल्का तालाब बरधा, जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 के पूर्वजो की पैतृक सम्पति है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 के पूर्वज पत्ता जी थे। जिस पर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 के पिता रामा के द्वारा मिलीभगत कर अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा लिया। जबकि उक्त सम्पूर्ण भूमि का पारिवारिक बँटवारा के अनुसार हिस्सा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है जिस बाबत एक पंचनामा समझौता पत्र दिनांक 28.04.2023 को गाँव वालो की सहमति से तैयार करवाया गया जिस पर भी उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि कब्जा काश्त हम प्रार्थीगण के पास ही लिखवाया। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 के सामने ही उक्त भूमि के संबंध में पंचनामा दिनांक 28.04.2023 गाँव वालो की सहमति से तैयार करवाया गया फिर भी दिनांक 03.07.2023 को अप्रार्थीगण मौके पर

...तियो को बेचान करने के लिये लाये एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को बेचान करने के लिये आमादा ...। श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर अप्रार्थीगण को इस प्रकार की अस्थाई ...ज्ञा से पाबंद करे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे, प्रार्थीगण के कृषि कार्य ...ने में बाधा उत्पन्न नहीं करे, भूमि के स्वरूप को नष्ट नही करे, राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करे। उक्त कार्य न तो स्वंय करे ना ही अपने प्रतिनिधियो से करावे।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त भूमि के खातेदारी स्वामी के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 का नाम अंकित है तथा अप्रार्थीगण ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस चरण में भूमि का प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम संख्या 1 लगायत 8 पूर्वजो की पैतृक सम्पति नही है। उक्त भूमि पत्ता जी की है प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य कभी कोई बटवारा नहीं हुआ। भूमि खसरा सख्या 1865 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा विस्थित ग्राम तालाब बरधा में प्रार्थीगण के पिता रामा जी को अलोट हुई तथा गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। लगातार काश्त किये जाने से उक्त भूमि रामा जी के खातेदारी में दर्ज हो गई तथा रामा जी की मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थीगण के नाम फोती इन्तकाल खोलकर तस्दीक किया गया। तब से आज तक अप्रार्थीगण ही भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। गैरखातेदारी के नामान्तकरण की नकल पेश कर दी गई है। रिकार्डड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी पर अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार निहित है एवं उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पिता रामा जी के खाते नामान्तकरण सं0 35 से गैरखातेदारी में दर्ज रेकार्ड होना प्रमाणित है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को प्रमाणित करने में असफल रहे। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे उक्त वाद वर्णित आराजी पत्ता जी के खातेदारी अधिकार में अथवा पैतृक सम्पति प्रमाणित हो। केवल मात्र दिनांक 28.4.2023 को पंचनामा बाबत समझोता पत्र पेश किया गया है जो कि रजिस्टर्ड नही है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध रेकार्डड खातेदार अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होते है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध रेकार्डड खातेदार अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा